



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 102-2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 20, 2020 (ASADHA 29, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जुलाई, 2020

संख्या 1/3/2005-1टी०सी०पी०.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर योजनाकार सेवा (राज्य सेवा श्रेणी-1) नियम, 1976, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा नगर योजनाकार सेवा (राज्य सेवा श्रेणी-1) संशोधन नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नगर योजनाकार सेवा (राज्य सेवा श्रेणी-1) नियम, 1976 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, मूल नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, "पैंतीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना 4 के नीचे क्रम संख्या 4 के सामने 'पदोन्नति द्वारा' शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"वरिष्ठ नगर योजनाकार के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव"।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शस्ति का स्वरूप	शस्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	सहायक नगर योजनाकार	सरकार	(1) लघु शास्तियां –	सरकार”।
2.	जिला नगर योजनाकार		हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित;	
3.	वरिष्ठ नगर योजनाकार		(II) बड़ी शास्तियां—	
4.	मुख्य नगर योजनाकार		हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित;	

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	शस्ति का स्वरूप	शस्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	सहायक नगर योजनाकार	(क) पेंशन को शास्ति करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; तथा	सरकार”।
2.	जिला नगर योजनाकार	(ख) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा उसकी नियुक्ति की समाप्ति	
3.	वरिष्ठ नगर योजनाकार		
4.	मुख्य नगर योजनाकार		

ए० के० सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 20th July, 2020

No. 1/3/2005-1TCP.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Service of Town Planners (State Service Class I) Rules, 1976, namely :-

- These rules may be called the Haryana Service of Town Planners (State Service Class I) Amendment Rules, 2020.
- In the Haryana Service of Town Planners (State Service Class I) Rules, 1976 (herein after called the said rules), in rule 5, for the words and sign “thirty-five”, the words and sign “forty-two” shall be substituted.
- In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely :-

“14. Discipline, penalties and appeals.- (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clauses (c) or (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these rules”.

4. In the said rules, in Appendix B, under column 4, against serial number 4, under heading ‘By promotion’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Minimum five years experience as Senior Town Planner”.

5. In the said rules, for Appendix C, the following Appendix shall be substituted, namely:—

“APPENDIX C

[see rule 4 (1)]

Serial Number	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered impose penalty
1	2	3	4	5
1.	Assistant Town Planner	Government	(i) Minor Penalties- As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016	Government”.
2.	District Town Planner			
3.	Senior Town Planner		(ii) Major Penalties As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016	
4.	Chief Town Planner			

6. In the said rules, for Appendix D, the following Appendix shall be substituted, namely:—

“APPENDIX D

[see rule 14 (2)]

Serial Number	Designation of post	Nature of order	Authority empowered to made the order
1	2	3	4
1.	Assistant Town Planner	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government”.
2.	District Town Planner	(ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	
3.	Senior Town Planner		
4.	Chief Town Planner		

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.